

सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड हेतु आवेदन सह घोषणा पत्र

प्रति,

आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी / सचिव, ग्राम पंचायत,
 ग्राम / वार्ड.....
 ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय
 तहसील / विकासखण्ड
 जिला

दो पासपोर्ट
 साईज
 फोटो संलग्न
 करे।

विषय :- सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

मैं सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करती / करता हूँ :-

- आवेदक का पूरा नाम सरनेम सहित (जैसा कि आधारकार्ड में नाम दर्ज है) –
 (हिन्दी में)
 (अंग्रेजी में)
- पिता / पति का नाम –
- जाति (अनु. जाति / जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / सामान्य) –
- आवेदक का वर्तमान पता –
 मकान नंबर गली नंबर
 मोहल्ला / ग्राम.....वार्ड नंबर / ग्राम पंचायत
- आधारकार्ड के अनुसार आवेदक की जन्म तिथि (DD/MM/YYYY में) –
- आवेदक का मतदाता परिचय पत्र क्रमांक –
- आवेदक का मोबाईल नंबर –
- संलग्न किये जाने वाले उचित मूल्य दुकान का नाम –
- आवेदक के परिवार के सदस्यों का विवरण –

क्र.	आधार कार्ड* के अनुसार सदस्य का नाम (हिन्दी में)	आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि	लिंग	आवेदक मुखिया से संबंध	आधार कार्ड क्रमांक

आवेदक एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जावे। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार पंजीयन पावती (EID) की छायाप्रति एवं संचालक खाद्य द्वारा निर्धारित एक पहचान पत्र की फोटो कॉपी संलग्न की जावे।

* मैं, आधार कार्ड संख्या ***** धारक, एतद्वारा अपनी सहमति द्वारा खाद्य विभाग को अपना आधार संख्या, नाम और फिंगर प्रिंट यूआईडीआई के साथ प्रमाणीकरण के लिए दे रहा हूँ खाद्य विभाग द्वारा मुझसे सम्बन्धित जानकारी का उपयोग मेरी पहचान के लिए किया जा रहा है, मेरे संज्ञान में यह भी है कि मुझसे सम्बन्धित जानकारी एवं मेरे बायोमीट्रिक्स को संग्रहित एवं साझा नहीं किया जावेगा, इसका उपयोग केवल सीआईडीआर प्रमाणीकरण के लिए किया जाएगा।

10. मैं यह घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र में जो विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य के नाम से न तो पृथक् से राशनकार्ड है और न ही उनमें से किसी का नाम छत्तीसगढ़ राज्य के किसी अन्य जिले के राशनकार्ड में दर्ज है। आवेदन में मेरे द्वारा दर्ज जानकारी की पुष्टि हेतु मेरे पास आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं, जिसकी मांग किये जाने पर मेरे द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

मैं सत्य निष्ठा से घोषणा करती/करता हूँ कि इस घोषणा पत्र पर मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां पूर्णतः सत्य हैं तथा यह इकरार करती/करता हूँ कि जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत दण्ड का भागी रहूँगी/रहूँगा।

स्थान -

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक -

नाम

भौतिक सत्यापन पत्रक

(इस पत्रक में जानकारी आवेदक के द्वारा न भरी जावे)

आवेदक, पिता/पति के द्वारा एपीएल राशनकार्ड बनाने हेतु प्रस्तुत आवेदन सह घोषणा पत्र तथा उसके साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। आवेदन सह घोषणा पत्र में दी जानकारी के सत्यापन के लिए मेरे द्वारा दिनांक को आवेदक के निवास स्थान पर जाकर आवेदक/उसके परिवार के सदस्य की उपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण में आवेदन सह घोषणा पत्र में दर्शित पते पर आवेदक एवं उनके परिवार के सदस्य निवासरत पाये गये - हाँ /नहीं

आवेदक के द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र में साथ संलग्न दस्तावेजों का उनके मूल प्रति से मिलान करने पर दस्तावेज सही पाये गये - हाँ /नहीं

इस प्रकार आवेदक के नाम पर एपीएल राशनकार्ड जारी करने की अनुशंसा की जाती है/आवेदन पत्र अमान्य किया जाता है।

सत्यापनकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर

नाम -

पदनाम -

कार्यालय -

मोबाईल नम्बर -

आवेदन शुल्क पावती

आवेदिका/आवेदक पिता/पति ग्राम/वार्ड
..... विकासखण्ड/नगरीय निकाय जिला छत्तीसगढ़ के द्वारा
सामान्य (एपीएल) राशनकार्ड हेतु निर्धारित शुल्क 10/- रूपये नगद दिनांक को जमा कर दिया गया है,
जिसका विवरण राशनकार्ड आवेदन पंजी के सरल क्रमांक पर दर्ज है।

प्राप्तकर्ता/दल प्रभारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदनाम सहित